सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ, 1941 (श०)

संख्या- 463 राँची, मंगलवार, 4 जून, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

31 मई, 2019

संख्या-5/आरोप-1-114/2016 का॰ 4336-- श्री गिरिवर मिंज, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-गढ़वा), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1974, दिनांक-23.08.2016 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-647/मनरेगा, दिनांक-30.07.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री मिंज के विरूद्ध छत्तरपुर प्रखण्ड में डोभा निर्माण में अनियमितता बरते जाने तथा जे०सी०बी० मशीन का उपयोग किये जाने की जाँच करने के निदेश के आलोक में भली-भाँति जाँच किये बगैर बरती गई अनियमितता को छुपाकर भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8356, दिनांक-26.09.2016 द्वारा श्री मिंज से स्प्ष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री मिंज के पत्र, दिनांक-17.10.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री मिंज के स्पष्टीकरण विभागीय पत्रांक-9862, दिनांक-23.11.2016 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी । उक्त के आलोक में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-85/मनरेगा, दिनांक-02.02.2017 द्वारा श्री मिंज के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-3253, दिनांक-20.03.2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-311, दिनांक-23.10.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2904(HRMS), दिनांक 19.12.2018 द्वारा श्री मिंज के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iii) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री मिंज द्वारा माननीय राज्यपाल झारखण्ड के समक्ष पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-705, दिनांक 15.03.2019 द्वारा विभाग में उपलब्ध कराया गया।

श्री मिंज द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत, श्री गिरिवर मिंज, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iii) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 463 -- 50